संख्याः176 /2024/468/35-4-2024/35-4099/21/2024

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 10 अप्रैल, 2024

विषय: जनपद लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद लखनऊ में शासनादेश संख्या-568/2023/1266/35-4-2023, दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 40 स्वीकृत कार्यों हेतु रू0 495.30 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 247.75 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिसमें प्रश्नगत 06 कार्यों **(शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 के क्रमांक- 16, 19, 30, 32, 35 व 37 पर अंकित कार्य**) हेतु अनुमोदित लागत रू0 76.86 लाख के सापेक्ष रू0 38.45 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र सं0-232/त्व0आ0वि0यो0/2023-24 दिनांक- 04 मार्च, 2024 एवं पत्र सं0-249/त्व0आ0वि0यो0/2023-24 दिनांक- 12 मार्च, 2024 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत 06 कार्यों के अनुमोदित लागत रू0 76.86 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि रू0 38.45 लाख का उपभोग विवरण प्रस्तुत करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि **रू0 38.41 लाख (रूपये अड़तीस लाख इकतालिस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि रू. लाख में)

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड बी 44 से चर्च तक लवकुशनगर इंटरलाकिंग कार्य।	05.22	02.61	02.61
2	शंकरपुरवा प्रथम वार्ड गांधीनगर कल्याणपुर में श्री लालमन वर्मा के मकान से सुनीता पाण्डेय जी के मकान होते हुए कमला पति गुप्ता के मकान तक सड़क	06.81	03.41	03.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य			
3	महानगर वार्ड-शंकरजी मंदिर से ललित कुमार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य।	21.22	10.61	10.61
4	कन्हैया माधवपुर द्वितीय वार्ड चौरसिया विहार में किशोर के मकान से मुंशीलाल के मकान तक, विकास श्रीवास्तव के मकान तक कनेक्टिंग रोड इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य	12.89	06.45	06.44
5	फैजुल्लागंज-2 वार्ड सतीश सिंह के मकान से रामसेवक कनौजिया के मकान तक श्याम बिहार कालोनी तक निर्माण कार्य।	16.43	08.22	08.21
6	शंकरपुरवा-1 वार्ड अजय मिश्रा के मकान से शिव कुमार यादव के मकान तक इंटरलाकिंग कार्य।	14.29	07.15	07.14
	योग-	**76.86**	**38.45**	**38.41**

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 38.41 लाख (रूपये अड़तीस लाख इकतालिस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष- 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्याः176/2024/468(1)/35-4-2024/35-4099/21/2024/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in